न्यायालय उपखण्ड अधिकारी मसूदा जिला–अजमेर (राज0)

राजस्व वाद संख्या 57/2016

श्री रामलाल जाट पुत्र श्री ऊंकार जाति जाट निवासी ग्राम देवास तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर हाल निवासी 39 आदर्शनगर अजमेर रोड गली नंबर 2, ब्यावर तहसील ब्यावर जिला–अजमेर

——–—वादी

ब ना म

1– श्री शिवराज पुत्र श्री ऊंकार
2– श्री देशराज पुत्र श्री ऊंकार
3– श्री मेघराज पुत्र श्री ऊंकार
4– भंवरलाल पुत्र श्री प्रभु
5– श्रीमति सोवनी पत्नि श्री प्रभु
6– श्रीमति ज्ञानादेवी पत्नि श्री रमेशचन्द उर्फ नानूराम
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम देवास तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर
7– सुरजकरण पुत्र श्री हरदेव जाति जाट निवासी ग्राम बलराम कृषि सेवा केन्द्र बावडी चौराया गुलाबपुरा जिला–भीलवाडा राज0
8– श्री रामनाथ पुत्र श्री हरदेव जाति जाट निवासी ग्राम नारीशाला रोड अशोकनगर रोड नंबर 4, अजमेर तहसील अजमेर
9– श्री हरीकिरण पुत्र श्री छगना जाति जाट निवासी ग्राम देवास तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर
10– रणजीत पुत्र श्री छगना जाति जाट निवासी बलवंत कॉलोनी कॉलेज के पीछे, बिजयनगर जिला– अजमेर
11– कैलाश पुत्र श्री छगना
12– ज्ञानचन्द पुत्र श्री छगना जी
13– शांतिलाल पुत्र श्री छगना जी
14– श्रीमति तीजी पत्नि श्री छगना
समस्त जाति जाट निवासी ग्राम देवास तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर राज.
15– श्रीमान् शाखा प्रबंधक महोदय बडौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा रामगढ तहसील बिजयनगर जिला–अजमेर
16– श्रीमान् उपपंजीयक अधिकारी एंव तहसीलदार महोदय बिजयनगर

———प्रतिवादीगण

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 एंव धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

अन्तिम निर्णय दिनांक

न्यायालय हाजा द्वारा दिनांक 22.05.2018 को बंटवारे की प्रारंभिक डिक्री पारित कर यह निर्णय पारित किया कि वादी का वाद प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के विरूद्ध स्वीकार किया जाकर मौजा देवास पटवार हल्का देवास भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रामगढ तहसील बिजयनगर में स्थित खसरा नंबर 190 रकबा 04–12–00, 215 रकबा 04–16–00 एंव खसरा नंबर 212 रकबा 00–04–10, 214 रकबा 00–16–10 में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 के बीच वर्तमान जमाबंदी के अनुसार पृथक पृथक खाते कायम किये जाने के आदेश पारित किये जाते है तथा हिस्सेनुसार वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 14 का कब्जा कायम किया जावे तथा नक्शा ट्रेस में अलग अलग रंग से दर्शित करते हुये तहसीलदार बिजयनगर को आदेशित किया जाता है बंटवारा प्रस्ताव प्रस्तुत करे। प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 14 को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से मुमानियत किया जाता है, कि विवादित भूमियो में जब तक विधिक रूप से विभाजन नही हो जावे तब तक किसी भी प्रकार की बेचान संबंधी कार्यवाही नही करे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करे।

...............लगातार

उक्त निर्णय व प्रारंभिक डिक्री दिनांक 22.05.2018 की अनुपालना में तहसीलदार बिजयनगर ने बंटवारा प्रस्ताव तैयार कर अपने पत्र क्रमांक भू.अ./2019/450 दिनांक 05–03–2019 से प्रस्तुत किया गया। बंटवारा प्रस्ताव पर बहस उपस्थित पक्षकारान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई जिन्होंने बंटवारा प्रस्ताव अनुसार बंटवारा किये जाने पर सहमति ज़ाहिर की जिस बाबत् सहमति के हस्ताक्षर आदेशिका पर करवाये गये। मेरे द्वारा पत्रावली का अद्धोपांन्त अवलोकन किया गया, बाद अवलोकन यथा प्रस्ताव बंटवारा स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

अतः वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण स्वीकार किया जाकर मौजा देवास के खसरा नंबर 215 रकबा 00–12–00 किस्म बा.3 में वादी श्री रामलाल पि. ऊंकार जाति जाट के नाम रखा जाता है तथा खसरा नम्बर 215/1 रकबा 04–04–00 किस्म बा.3 व खसरा नम्बर 190 रकबा 04–12–00 किस्म बा.3 में प्रतिवादीगण श्री शिवराज पुत्र श्री ऊंकार 12/176 हिस्सा, श्री देशराज पुत्र श्री ऊंकार 12/176 हिस्सा, श्री मेघराज पुत्र श्री ऊंकार 12/176 हिस्सा, श्री भंवरलाल पुत्र श्री प्रभु 17/176 हिस्सा, राहिन बी.आर.जी.बी.शाखा रामगढ, श्रीमती सोवनी पत्नी श्री प्रभु 06/176 हिस्सा, श्रीमती ज्ञानादेवी पत्नि श्री रमेशचन्द उर्फ नानूराम 70/528 हिस्सा, श्री सुरजकरण पुत्र श्री हरदेव 70/528 हिस्सा, श्री रामनाथ पुत्र श्री हरदेव 70/528 हिस्सा, श्री हरीकिरण पुत्र श्री छगना 47/1056 हिस्सा, श्री रणजीत पुत्र श्री छगना 47/1056 हिस्सा, श्री कैलाश पुत्र श्री छगना 47/1056 हिस्सा, श्री ज्ञानचन्द पुत्र श्री छगना 47/1056 हिस्सा, श्री शान्तिलाल पुत्र श्री छगना 47/1056 हिस्सा, श्रीमती तीजी पत्नि श्री छगना 47/1056 हिस्सा, समस्त जाती जाट सा0 देह तथा खसरा नम्बर 212 रकबा 00–04–10 किस्म बा.3 व खसरा नम्बर 214 रकबा 00–16–10 किस्म बा.3 में वादी श्री रामलाल पुत्र श्री ऊंकार एव प्रतिवादीगण श्री शिवराज पुत्र श्री ऊंकार, श्री देशराज पुत्र श्री ऊंकार, श्री मेघराज पुत्र श्री ऊंकार 1/16 हिस्सा, श्री कैलाश पुत्र श्री छगना 1/24 हिस्सा, छोटू पुत्र श्री बालू 1/4, हिस्सा, श्री ज्ञानचन्द पुत्र श्री छगना 1/24 हिस्सा, श्रीमती ज्ञानादेवी पत्नि श्री रमेश उर्फ नानूराम 1/8 हिस्सा, श्रीमती तीजी पत्नि श्री छगना 1/24 हिस्सा, श्री भंवरलाल पुत्र श्री प्रभु 03/32 हिस्सा राहिन बी.आर.जी.बी.शाखा रामगढ, श्री रणजीत पुत्र श्री छगना 1/24 हिस्सा, श्री शान्तिलाल पुत्र श्री छगना 1/24 हिस्सा, श्रीमती सोवनी पत्नी श्री प्रभु 01/32 हिस्सा, श्री हरिकिरण पुत्र श्री छगना 01/24 हिस्सा, सा. देह खातेदार के हिस्से में रखे जाने के आदेश तहसीलदार बिजयनगर पर पारित किये जाते हैं। तहसीलदार बिजयनगर यथानुसार राजस्व रेकार्ड में पृथक पृथक खाते कायम कर एंव लगान कायम कर तथा राजस्व नक्शे में यथानुसार तरमीम किये जाने के आदेश दिये जाते है। उभयपक्षान पक्षकारान को जरिए स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाता है कि वे स्वयं के हिस्से में आई भूमियों के अतिरिक्त अन्य की भूमियों में दखलंदाजी उत्पन्न नहीं करेंगे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करें। तदनुसार अंतिम डिक्री पर्चा जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2019 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(मोहनलाल खटनावलिया)
आर०ए०एस०
उपखण्ड अधिकारी मसूदा

(मोहनलाल खटनावलिया)
उपखण्ड अधिकारी
मसूदा (अजमेर) राज.

Signature Not Verified
Digitally signed by Mohan Lal Khatnawalia
Date: 2019.12.02 12:08:00 IST
Reason: SelfAttested
Location: